

विषय-सूची

<u>क्रमांक</u>	<u>विवरण</u>	<u>पृष्ठ क्रमांक</u>
<u>1</u>	वाहन निर्माताओं से आमंत्रित दर सूचना	
<u>2</u>	दिशा-निर्देश	1 से 4 तक
<u>3</u>	न्यूनतम दर प्रपत्र पत्र परिशिष्ट 1	5
<u>4.</u>	छत्तीसगढ़ में डीलर्स की जानकारी परिशिष्ट 2	6
<u>5.</u>	छत्तीसगढ़ के सर्विस सेंटरों की जानकारी परिशिष्ट 3	7

कार्यालय

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

बी-9, सेक्टर-5 देवेन्द्र नगर, रायपुर - 492005

फोन -0771- 4248601 से 615 फै. 617

क्र./238/ एफ. /वाहन दर/यो./2015-16/

रायपुर, दिनांक 29.05.2015

राष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित राज्य निगम के माध्यम से जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अन्तर्गत “ हितग्राही की पसन्द एवम् उनकी मांग अनुसार” मेक मॉडल के ट्रेक्टर, जीप टेक्सी, मिनीबस, मिनीट्रक, कार टेक्सी, ऑटो रिक्शा, डीलवरी वेन, पिकअप वेन एवम् बैटरी चलित ऑटो रिक्शा आदि के निर्माता कम्पनियों से हितग्राहियों को प्रदाय करने हेतु उक्त वाहनों के लिए न्यूनतम दरें (बल्क डिस्काउंट विवरण के साथ) आमंत्रित की जाती है।

1. वाहन निर्माताओं द्वारा ऑफर की गई दर दिनांक 30 जून 2016 तक प्रभावशील मानी जाएगी तथा वाहनों की कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति में भी कम्पनियों को ऑफर की गई दरों पर निर्धारित तिथि तथा वाहनों प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक इकाई (जैसे- ट्रेक्टर/जीप/मिनीबस/मिनीट्रक/कार टेक्सी/ऑटो रिक्शा) इत्यादि के लिए निर्माता कम्पनी को पृथक-पृथक दर प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यह दरें निर्माता कम्पनियों से ही आमंत्रित है, कम्पनियों द्वारा ही दरें दी जा सकेगी।
4. दर प्रपत्र एवं शर्तें केवल निर्माता कम्पनियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत कम्पनी की प्रतिनिधि को ही उपलब्ध कराई जायेगी। कम्पनी के डीलर्स से दरें आमंत्रित नहीं है।
5. दर प्रपत्र एवं शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) नगद भुगतान कर दिनांक 22.06.2015 अपराह्न 1:00 बजे तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। अथवा दर प्रपत्र वेब साईड www.cgscantyavasai.com के माध्यम से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। जिसका शुल्क रुपये 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट “प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर” के नाम से डाक के माध्यम से एक नम्बर लिफाफा में संलग्न कर भेजे जा सकते हैं।
6. दर प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवम् समय-दिनांक 22.06.2015 अपराह्न 3.30 बजे तक। विलम्ब से दर प्रपत्र प्राप्त होने पर मान्य नहीं किया जावेगा।
7. दर प्रपत्र खोलने की तिथि एवम् समय दिनांक 22.06.2015 अपराह्न 4.00 बजे से।
8. दर प्रपत्र खोलने का स्थान- कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. बी-9 सेक्टर-5, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
9. दर प्रपत्र खोलने हेतु निर्धारित तिथि एवम् समय पर निर्माता कम्पनी स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र सत्यापित हस्ताक्षर सहित एक नम्बर लिफाफा में संलग्न करना होगा।

दिनांक : 29.05.2015

सही/-
प्रबंध संचालक

न्यूनतम दर प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. रायपुर

निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वाहन क्रय हेतु न्यूनतम दर आमंत्रण

न्यूनतम दर आमंत्रित करने का उद्देश्य एवं शर्तें :-

उद्देश्य :- राष्ट्रीय निगमों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में ट्रेक्टर, जीप टेक्सी, मिनीबस, मिनीट्रक, कार टेक्सी, ऑटो रिक्शा, डिलवरी वेन, पिकअप वेन एवम् बैटरी चलित ऑटो रिक्शा आदि वाहन प्रदाय करने की योजना भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय निगम की चेनेलाइजिंग एजेंसी होने के फलस्वरूप राज्य निगम यह महसूस करता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली ईकाइयों में (जीप, टेक्सी, ऑटो, बस, कार-प्रत्येक वाहन पृथक-पृथक इकाई है) उक्त वर्ग के हितों को ध्यान में रखा जाए तथा उन्हें योजना के अन्तर्गत ग्लोबल मार्केट में विभिन्न कंपनियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा तथा कम्पनियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं/आफर का न केवल हितग्राहियों को लाभ मिले बल्कि उन्हें उनकी पसंद का वाहन प्राप्त हो। अतएव राज्य निगम ने केवल निर्माता कम्पनियों से बल्कि डिस्काउंट दरें आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। न्यूनतम दर की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. **निर्माता कम्पनी/आफरदाता की अर्हता :-** उपरोक्त वाहनों के न्यूनतम दर/आफर केवल निर्माता कम्पनियों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्माता कम्पनियों के अधिकृत डीलर्स के द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर/आफर्स स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. **न्यूनतम दर/आफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-** न्यूनतम दर प्रदायकर्ता कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य एवं शर्तें के प्रत्येक पन्नों पर हस्ताक्षर कर इसे लिफाफा क्रमांक एक में रखा जाएगा। कम्पनी द्वारा प्रत्येक वाहनों के मेक/माडल अनुसार न्यूनतम दर/आफर (बल्कि डिस्काउंट दरें) लिफाफा क्रमांक दो में रखी जाएगी। कम्पनी न्यूनतम दर/आफर के बारे में उपरोक्तानुसार दोनों बंद लिफाफे क्रमांक-01 एवं 02 को एक बड़े लिफाफे में डालकर सीधे ही राज्य निगम को निर्धारित तिथि/समय तक भेज सकती है न्यूनतम दर/आफर के लिफाफे के उपर इकाई का नाम यथा जीप/ट्रेक्टर/ऑटो, इत्यादि लिखना होगा। निर्माता कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि न्यूनतम दर प्रपत्र को सूचना में दर्शित तिथि के पूर्व राज्य निगम कार्यालय में रखे बाक्स में डाल सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त न्यूनतम दरें/आफर्स विचार में नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक इकाई के लिए जैसे ट्रेक्टर/जीप/ मिनीबस/कार/ऑटो रिक्शा इत्यादि वाहनों के लिए पृथक-पृथक दर प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :- न्यूनतम दर/आफर की शर्तें पेज क्र. 01 से 04 लिफाफा क्र. 01 में रखे.

निर्माता कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम (कम्पनी में).....

कम्पनी की सील/मुद्रा

3. **दर प्रपत्र/आफर्स खोलने की प्रक्रिया :-** दर प्रपत्र/आफर्स सूचना में दर्शित तिथि एवं समय पर राज्य निगम के द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। दर प्रपत्र/आफर्स खोलते समय कंपनी का अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र सत्यापित हस्ताक्षर सहित एक नम्बर लिफाफा में संलग्न करना होगा। सर्वप्रथम लिफाफा क्रमांक एक खोला जाएगा तथा यदि दर प्रपत्र आमंत्रित करने का उद्देश्य एवं शर्तों के प्रत्येक पन्नों पर कंपनी के पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील पाए जाते हैं, दर प्रपत्र अनुक्रमांक सही है तो ही लिफाफा क्रमांक दो खोला जाएगा।
4. **दर प्रपत्र/आफर्स की प्रभावशीलता :-** राज्य निगम के द्वारा निर्माता कंपनियों से दर प्रपत्र/आफर हितग्राहियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित की गई है, अतएव उक्त दरें राज्य निगम द्वारा इसके प्रसारण की तिथि से 12 माह के लिए लागू मानी जाएगी। कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत की गई दर/आफर के पश्चात् मार्केट फेक्टर के फलस्वरूप वाहनों के कीमतों में वृद्धि होती है, तब भी संबंधित कंपनियों को दर/आफर के प्रसारण की तिथि से 12 माह की अवधि तक उक्त दरों पर ही वाहनों प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा, परंतु यदि वाहनों की दरों में कमी होती है तो संबंधित कंपनियों को इसका लाभ हितग्राहियों को दिया जाना कंपनी के लिए आबद्धकर होगा। किसी भी प्रकार का शर्त स्वीकार योग्य नहीं होगा।
5. **दर प्रपत्र/आफर्स के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अभिलेख/जानकारी :-** राज्य निगम के द्वारा योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है, अतएव कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा कि वे दर/आफर के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में कंपनी के अधिकृत डीलर्स/सर्विस सेंटर्स की पूर्ण जानकारी/विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार लिफाफा क्रमांक-01 में प्रस्तुत करें। साथ ही छत्तीसगढ़ में डीलर्स एवं सर्विस सेंटर्स की जानकारी हार्ड कॉपी एवं सीडी में तैयार कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार लिफाफा क्रमांक -1 में रखें। कंपनी यदि कोई अन्य जानकारी/विवरण देना चाहते हैं, तो लिफाफा क्रमांक-01 में रख सकते हैं। यह ध्यान रखा जाए कि लिफाफा क्रमांक 02 में केवल भाव पत्र ही रखे जाएंगे।
6. **कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत दर/आफर के संबंध में राज्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :-** दर सूचना में दर्शित तिथि तक कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत दर/आफर (बल्क डिस्काउंट दरें सहित) **कम्पाइल compile** करने के पश्चात् जिला समितियों को प्रेषित की जाएगी, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी दी जाएगी।

नोट :- दर/आफर की शर्तों पेज क्र. 01 से 04 लिफाफा क्र. 01 में रखें.

निर्माता कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षर
पूरा नाम

पदनाम (कंपनी में).....

कंपनी की सील/मुद्रा

7. राज्य निगम द्वारा संचालित योजना के तहत हितग्राहियों का वाहनों के मेक/माडल चयन करने की स्वतंत्रता :- राष्ट्रीय निगमों के द्वारा राज्य निगम के माध्यम से जिला समितियों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही को अपनी पंसद की कंपनी का मेक माडल के वाहन क्रय करने की स्वतंत्रता है। इसे सुनिश्चित किए जाने हेतु हितग्राही द्वारा कंपनी एवं वाहनों के मेक/माडल बाबत जानकारी जिला समिति को लिखित में दी जाएगी, तदनुसार जिला समिति द्वारा क्रय आदेश जारी किए जा सकेंगे। अतः निर्माता कंपनियों अथवा उनके अधिकृत डीलर्स द्वारा हितग्राहियों को अपनी कंपनी के मेक/माडल की वाहन क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता तथा यह पूर्णतः निषिद्ध होगा एवं यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी कंपनी के अधिकृत डीलर्स ने जिला समिति द्वारा उपर्युक्त योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को किसी तरह के प्रलोभन अथवा अन्य तरीके से वाहन क्रय करने हेतु उल्लेखित रूप से निषिद्ध कार्य किया है अथवा हितग्राहियों पर दबाव डाला है, तो राज्य निगम/जिला कलेक्टर्स सह अध्यक्ष, जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति को यह अधिकार होगा कि वे संबंधित कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर/आफर को तत्काल अप्रभावशील किए जाने हेतु संबंधित डीलर्स के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ उचित कदम उठाएं।
8. कंपनी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर/आफर के आधार पर वाहन क्रय आदेश जारी करने हेतु जिला अन्त्यावसायी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :- जिला समिति द्वारा हितग्राही से उनकी पंसद की मेक/माडल के वाहन की लिखित में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत वाहन क्रय करने के आदेश कंपनी के नाम पर जारी किए जायेंगे, परंतु कंपनी यदि चाहें तो उक्त आदेश अधिकृत डीलर्स अथवा कंपनी के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से प्राप्त करने हेतु उन्हें अधिकृत कर सकती है तथा वाहनों डीलर्स के माध्यम से प्रदाय कर सकती है, परन्तु कंपनी को अथवा कंपनी की ओर से वाहन की वारंटी आदि सभी अभिलेख देना होगा।
9. जिला सहकारी समिति द्वारा अपनायी जाने वाली भुगतान की प्रक्रिया :- जिला समिति द्वारा जारी किए गए वाहन क्रय के आदेश अनुसार कंपनी अथवा यदि कंपनी की ओर से वाहन की डिलिवरी दिए जाने हेतु 'कंपनी के अधिकृत डीलर्स' को अधिकृत किया गया हो तो डीलर्स द्वारा वाहन की डिलीवरी दिए जाने पर भुगतान की कार्यवाही संबंधित कंपनी के नाम पर की जाएगी, परंतु कंपनी अधिकृत डीलर्स कंपनी के क्षेत्रीय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर सकेगा।

नोट :- न्यूनतम दर/आफर की शर्तें पेज क्र. 01 से 04 लिफाफा क्र. 01 में रखे.

निर्माता कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम (कंपनी में).....
कंपनी की सील/मुद्रा

10. यदि वाहनों की डिलीवरी कंपनी द्वारा डीलर्स के माध्यम से दी जाती है, तो कंपनी के अधिकृत डीलर्स का दायित्व :- उक्त स्थिति में यदि कंपनी तथा उनके अधिकृत डीलर्स के बीच यदि 'कंपनी के वाहनों की बिक्री बढ़ाने तथा प्रचार/प्रसार हेतु' डीलर्स कमीशन बाबत कोई घोषित/अघोषित समझौता हुआ है तथा उक्त समझौते के फलस्वरूप डीलर्स अपने स्तर से हितग्राहियों को वाहनों के क्रय बाबत कोई आफर देता है तथा यदि ऐसे दिए गए आफर से वाहन की दरें कंपनी द्वारा न्यूनतम दर/आफर में दी गई दरों से कम हो तो संबंधित डीलर्स द्वारा इसका लाभ हितग्राहियों को देना होगा। इसे सुनिश्चित किए जाने हेतु, जिला समिति द्वारा क्रय आदेश देने के पूर्व, कंपनी के अधिकृत डीलर्स से लिखित में जानकारी ली जाएगी कि उनके द्वारा ओपन मार्केट में चल रही स्पर्धा के फलस्वरूप सेल्स बढ़ाने हेतु कोई आफर तो नहीं दिए गए हैं। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि कंपनी के अधिकृत डीलर्स ने ओपन मार्केट व्यवस्था के अंतर्गत हितग्राहियों का कंपनी का मेक माडल का वाहन क्रय करने हेतु आफर दे रखे हैं, तथा निगम द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं दिया है, तो संबंधित डीलर्स के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने के साथ ही साथ संबंधित कंपनी के द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर/आफर अप्रभावशील घोषित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। हितग्राही के हित में कंपनी के डीलर्स की वर्कशॉप व्यवस्था की जानकारी देना होगी, जिले में सामग्री के डीलर्स एवं सर्विस सेन्टर होने पर ही उस जिले हेतु दरें भेजे जाने योग्य होंगी। प्रदाय आदेश देने के पूर्व डीलर हितग्राही को वाहन प्रदाय नहीं करेंगे ऐसा होने पर भुगतान की जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. कंपनियों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर/आफर जिला समितियों को संसूचित करने हेतु प्रक्रिया:- कंपनियों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर/आफर (बल्क डिस्काउंट दर) जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति को तभी प्रसारित की जाएगी, जबकि कंपनी को उपरोक्तानुसार उल्लेखित शर्तें स्वीकार्य हों। इस हेतु उन्हें न्यूनतम दर आमंत्रित करने का उद्देश्य एवं शर्तें के प्रत्येक पन्नों पर हस्ताक्षर उपरांत प्रस्तुत आफर के साथ उपरोक्तानुसार दर्शायी गई प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
12. ऐसे निर्माता कंपनी जो 30 जून 2015 तक के लिये दर सूची दिये थे और वे दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तथा पिछले वर्ष के दरों को यथावत रखना चाहते हैं तो उन्हें न्यूनतम दर प्रपत्र में नवीन दर देने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यह लिखना होगा कि पिछले वर्ष की दरें एवं डीलर्स की सूची तथा सर्विस सेन्टर की सूची को मान्य किया जावे। इस स्थिति में पिछले वर्ष के दर सूची की जानकारी जिला समितियों को भेजी जावेगी।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

नोट :- दर/आफर की शर्तें पेज क्र. 01 से 04 लिफाफा क्र. 01 में रखें.

निर्माता कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम (कंपनी में).....

कंपनी की सील/मुद्रा

न्यूनतम दर प्रपत्र (भाव पत्र)

निर्माता कंपनी का नाम

क्र.	वाहन (इकाई) का नाम एवं प्रकार	मेक मॉडल	हार्स पावर	सकल भाव	बल्क डिस्काउंट	कंपनी द्वारा प्रस्तुत (आफर्स) वास्तविक न्यूनतम दर (5-6)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

निर्माता कम्पनी के अधिकृत हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम (कंपनी में).....
कंपनी की सील/मुद्रा

नोट :- न्यूनतम दर/आफर्स उपर्युक्त प्रपत्र में देवें तथा यदि अतिरिक्त प्रपत्र की आवश्यकता है तो, उपर्युक्तानुसार प्रपत्र बनाकर अतिरिक्त शीट जोड़ें तथा इसे लिफाफा क्रमांक 02 में मुहर बंद करें।

छत्तीसगढ़ में डीलर्स की जानकारी

क्रमांक	डीलर्स का नाम एवं पता	जिला	फोन नंबर/मोबाईल नं./ई-मेल आईडी	रिमार्क
01	02	03	04	05

निर्माता कम्पनी के अधिकृत

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम (कंपनी में).....

कंपनी की सील/मुद्रा

नोट : छ.ग. में डीलर्स की जानकारी उपर्युक्त प्रपत्र में दें तथा
यदि अतिरिक्त प्रपत्र की आवश्यकता हो तो
उपरोक्तानुसार प्रपत्र बनाकर अतिरिक्त सीट जोड़े।

परिशिष्ट - तीन
लिफाफा क्रमांक - एक में रखें

छत्तीसगढ़ में सर्विस सेन्टरों की जानकारी

क्रमांक	डीलर्स का नाम एवं पता	सर्विस सेन्टर का नाम एवं पता	जिला	फोन नंबर/मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी
01	02	03	04	05

निर्माता कम्पनी के अधिकृत
हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम (कंपनी में).....
कंपनी की सील/मुद्रा

नोट : छ.ग. में डीलर्स की जानकारी उपर्युक्त प्रपत्र में दें तथा
यदि अतिरिक्त प्रपत्र की आवश्यकता हो तो उपरोक्तानुसार
प्रपत्र बनाकर अतिरिक्त सीट जोड़े।